न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1011/11/2011 विरूद्व आदेश दिनांक 29.04.2011 पारित व्दारा – आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण कमांक 18/2008–09 अपील

सीताराम बल्द राजाराम कौरव
निवासी ग्राम भौरझिर तहसील
गाडरवारा जिला नरसिंहपुर

——— आवेदक

विरूद्व

म.प्र.शासन

------अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदक की ओर से पेनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 17–8–2015 को पारित)

यह अपील आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 18/2008–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.4.2011 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी हलका नंबर 05 ने तहसीलदार गाडरवारा को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम भोरझिर स्थित आराजी कमांक 231, 307/1, 307/2 के रकबा 0.030 आरे आबादी मद की भूमि पर आवेदक ने अतिकमण किया है इसलिये कार्यवाही की जावे। तहसीलदार गाडरवारा ने प्रकरण कमांक 26 अ 68/2007–07 पंजीबद्व किया तथा आवेदक को कारण बताओ सूचना जारी की। आवेदक ने उपस्थित होकर बचाव में उत्तर प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार गाडरवारा ने आदेश दिनांक 27.6.2007 पारित

किया तथा आवेदक पर अतिक्रमण किया जाना मानकर अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, गाडरवारा के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 58/2006—07 अपील में पारित आदेश दिनांक 3.11.2007 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 27.6.2007 निरस्त किया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित किया जावे।

तहसीलदार गाडरवारा ने प्रकरण में पुर्नसुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 28.2.2008 पारित किया तथा आवेदक पर 500/—रू. अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 12/2007—08 अपील में पारित आदेश दिनांक 19.8.2008 से अपील अस्वीकार की गईं , जिसके विरूद्व आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 18/2008—09 में पारित आदेश दिनांक 29.4.2011 से अपील निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने तथा तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार गाडरवारा ने मौजा भौरझिर की आराजी कमांक 231, 307/1, 307/2 के रकबा 0.030 आरे पर बने रिहायशी मकान को अतिक्रमण मानकर बेदखली के आदेश देने की कार्यवाही पटवारी रिपोर्ट के आधार पर की है, जबकि उक्त भूमि के 3250 वर्गफुट पर आवेदक का पैत्रिक मकान बना हुआ है जिसे आवेदक के पिता राजाराम कौरव ने पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया है। पैत्रिक मकान आबादी भूमि पर है जो ग्राम के बासिन्दों को रहने के लिये शासन व्दारा आरक्षित है उन्होंने तर्को में बताया कि संहिता की धारा 248 की कार्यवाही केवल शासन की चरनोई भूमि एंव अन्य मदों की भूमियों पर अतिक्रमण करके कृषि कार्य करने तक सीमित है आबादी भूमि पर यह धारा लागू नहीं होती है। उन्होंने बताया कि 3250 वर्गफुट पर बने पैत्रिक मकान के संबंध में व्यवहार न्यायालय की डिक्री है इसके वाद भी तहसीलदार व्दारा बेदखल करना आवेदक को न्याय से बंचित करना है।

उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को निरस्त करने की मांग की है। अनावेदक के अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को सही बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि पटवारी हलका नंबर 5 ग्राम भौरझिर व्दारा प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट में ही यह दर्शाया है कि आबादी भूमि में स्थित ग्राम भोरझिर की आराजी कमांक 231, 307/1, 307/2 के रकबा 0.030 आरे पर आवेदक ने अतिक्रमण कर 3250 वर्गफुट अर्थात 0.030 है. भूमि पर मकान निर्मित किया है, जिस पर से तहसीलदार गाडरवारा ने प्रकरण क्रमांक 26 अ 68/2007–07 पंजीबद्व कर आदेश दिनांक 27.6.2007 से आवेदक पर अतिक्रमण किया जाना मानकर अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये बेदखली के आदेश दिये हैं। अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा व्दारा आदेश दिनांक 3.11.2007 पारित कर से तहसीलदार का आदेश दिनांक 27.6.2007 निरस्त करते हुये पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित दिया। तहसीलदार ने पुनः सुनवाई कर आदेश दिनांक 28.2.2008 पारित करते हुये आवेदक पर 500/–रू. अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखल किये जाने के आदेश दिये हैं। तहसीलदार का यह आदेश अपील में अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा ने एंव आयुक्त जबलपुर संभाग ने स्थिर रखा है। प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि जब आवेदक बचाव में यह दलील दे रहा है कि आबादी भूमि पर स्थित मकान उसके पिता व्दारा पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया है, तब क्या विक्रय पत्र के आधार पर क्रय किये गये मकान पर विक्रय पत्र शून्य घोषित हुये बिना म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत आवेदक के विरूद्व बेदखली की कार्यवाही की जा सकेगी। माननीय व्यवहार न्यायालय न्यायाधीश वर्ग–2 गाडरवारा व्दारा व्यवहार वाद कमांक 64 ए/2011 में पारित आदेश दिनांक 11.08.2011 , जिसमें प्रतिवादी कलेक्टर नरसिंगपुर एंव तहसीलदार गाडरवारा हैं, के अनुसार वादीगण के हक में डिक्री प्रदान की गई है तदनुसार वादीगण को वादग्रस्त मकान का भूमिस्वामी प्रमाणित होना माना है तथा प्रतिवादीगण अर्थात कलेक्टर नरसिंगपुर एंव तहसीलदार गाडरवारा को प्रतिबन्धित किया गया है कि वह वादीगण के मकान में हस्तक्षेप न करें। माननीय व्यवहार न्यायालयों के आदेश राजस्व न्यायालयों पर

बन्धनकारी है, जिसके कारण तहसीलदार गाडरवारा व्दारा प्रकरण कमांक 26 अ 68 / 2007-07 में पारित आदेश दिनांक 28.2.2008 एंव अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा व्दारा प्रकरण कमांक 12 / 2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 19.8.2008 तथा आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 18 / 2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.4.2011 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6 / उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार गाडरवारा व्दारा प्रकरण कमांक 26 अ 68 / 2007-07 में पारित आदेश दिनांक 28.2.2008 एंव अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा व्दारा प्रकरण कमांक 12 / 2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 19.8.2008 तथा आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 18 / 2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.4.2011 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

0/29/2011

...नामा की कोई जांच नहीं की गई।